राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1866/2013/जयपुर.
2. अपील संख्या – 1867/2013/जयपुर.

मैसर्स मेरिको लिमिटेड,
सी–65, रोड़ नं0 1/C, वी.के.आई. एरिया, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत,
वाणिज्यिक कर राजस्थान, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री टी. सी. जैन, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/08/2016

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 134 व 135/अ.प्रा.–II/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2007–08 व 2008–09 के नियमित कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 25.08.2009 व 02.06.2010 को पारित किये गये थे। तत्पश्चात् व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट एवं बिक्री विवरण प्रपत्र वैट–10 (त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र) के अवलोकन पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा अपने क्रेता व्यवहारियों को विक्रय उपरान्त क्रेडिट नोट्स जारी किये गये हैं। सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों में दर्शाये गये कर योग्य विक्रय में बिक्री के बाद दिया गया डिस्काउण्ट (कर सहित) वेट अधिनियम की धारा 2(36) स्पष्टीकरण–II के विधिक प्रावधानों के अनुसार विक्रय मूल्य में से कम

लगातार.....2

किये जाने योग्य नहीं होने से क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये डिस्काउण्ट मय वैट कर की राशि को कम करते हुए कर योग्य बिक्री लेखा—पुस्तकों एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में दर्शाये जाने के कारण क्रेडिट नोट्स की राशि पर 4/12.05 प्रतिशत की दर से कर एवं तद्नुसार ब्याज आरोपण के पृथक—पृथक आदेश दिनांक 12.06.2012 को वेट अधिनियम की धारा 26 व 55 के तहत पारित किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि रूपये में)

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	क्रेडिट नोट्स की राशि	आरोपित कर	ब्याज	कुल योग
1866/13	2007—08	1,45,26,263	9,44,782	4,01,532	13,46,314
1867/13	2008—09	1,47,06,485	8,02,859	3,41,215	11,44,074

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन पृथक—पृथक आदेश दिनांक 05.07.2013 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गयी हैं।

5. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि व्यवहारी अपने उत्पादों की बिक्री के सम्बन्ध में बाजार में प्रचलित मार्केटिंग स्कीमों के अनुसार विभिन्न स्कीमें निश्चित अवधि के लिये अपने डिस्ट्रिब्यूटर्स/ग्राहकों को ऑफर करता है, जिसकी जानकारी डिस्ट्रिब्यूटर्स को ग्राहकों को माल बेचने से पूर्व होती है। कम्पनी द्वारा स्कीम के तहत वितरक/डीलरों द्वारा लक्ष्य पूर्ण करने पर स्कीम अवधि समाप्ति पर क्रेडिट नोट जारी किये जाकर ट्रेड डिस्काउण्ट दिया जाता है। अपीलार्थी द्वारा वेट कर सहित जारी किये गये इन क्रेडिट नोट्स का अपनी लेखा—पुस्तकों में अंकन किया जाकर वितरकों/डीलरों के लेखों से प्रत्येक माह सत्यापन भी प्राप्त किया गया है। राज्य में वेट अधिनियम प्रभाव में आने पर धारा 2(36) में परिभाषित **'विक्रय मूल्य'** का आशय व्यवहारी द्वारा किसी माल के विक्रय की प्रतिफल राशि में से व्यापार में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुरूप छूट अथवा डिस्काउण्ट के रूप में दी गई राशि कम करते हुए अदा की गई अथवा अदा योग्य राशि है तथा इस धारा के स्पष्टीकरण—II के अनुसार विक्रय के समय का नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट, जो इन्वॉयस से प्रकट (evident) हो, राशि को **'विक्रय मूल्य'** से अलग (exclude) किया जावेगा, परन्तु पश्चातवर्ती (ex-post facto) दिया गया डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा ईनाम आदि की राशि अलग नहीं होगी। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण—II की गलत व्याख्या करते हुए अपीलार्थी द्वारा व्यापार की प्रचलित प्रथा के

लगातार.....3

अनुसार प्रस्तावित स्कीम के तहत इन्वॉयस पर बाद में क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट मय इस पर देय वेट, को **'विक्रय मूल्य'** में से अलग (exclude) नहीं किया जाकर **'विक्रय मूल्य'** का भाग मानकर इस राशि पर कर व ब्याज का आरोपण करने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया –

(1) **32 टैक्स अपडेट 213 (एस.सी.) आई.एफ.बी. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला तथा दी इण्डिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त व अन्य**

(2) **45 एस.टी.सी. 32 उपायुक्त, सेल्स टैक्स (लॉ), बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (टैक्सेज), एर्नाकुलम बनाम अडवाणी ओरलिकोन (प्रा0) लिमिटेड**

(3) **(2014) 69 वी.एस.टी. 149 (एम.पी.) बी.पी.एल. लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर भोपाल डिवीजन–1, भोपाल (एम.पी.) व अन्य**

(4) **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 21178/2012 निर्णय दिनांक 04.01.2013 मैसर्स सन डायरेक्ट टी.वी. प्रा0 लिमिटेड, जयपुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य**

(5) **42 टैक्स अपडेट 227 (राज.) मैसर्स भीलवाड़ा सिन्थेटिक्स लिमिटेड, भीलवाड़ा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य**

(6) **14 टैक्स अपडेट 126 (रा.क.बो.) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स वाडीवाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड**

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 2(36) सपठित स्पष्टीकरण–II के विधिक प्रावधानों के अनुसार विक्रय मूल्य में से इन्वॉयस से प्रकट विक्रय के समय का नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट ही विक्रय मूल्य में शामिल नहीं होगा, परन्तु पश्चातवर्ती दिया गया डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा ईनाम आदि को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किया जावेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय के समय इन्वॉयस में दर्शाई गई विक्रय मूल्य एवं वेट राशि में से प्रस्तावित स्कीमों के तहत कंटिन्जेंट डिस्काउण्ट के रूप में बाद में डिस्काउण्ट मय वैट देने हेतु क्रेडिट नोट जारी किये जाकर इस डिस्काउण्ट राशि को **'विक्रय मूल्य'** में से कम करते हुए इस पर कर अदा नहीं किया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विधिक प्रावधानों के अनुरूप मूल वेट इन्वॉयस के विक्रय मूल्य राशि से सम्बन्धित करयोग्य टर्नओवर पर देय कर संदत्त नहीं करने के

लगातार.....4

लिये इस करयोग्य टर्नओवर पर कर व ब्याज आरोपित करने हेतु पारित किया गया आदेश विधिसम्मत एवं उचित है तथा इसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी ने भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में मुख्य विवाद राज्य में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के स्थान पर दिनांक 01.04.2006 से वेट अधिनियम प्रभावी होने के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित **'विक्रय मूल्य'** निर्धारण से सम्बन्धित है। इस विवादित बिन्दु के विनिश्चयन हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 एवं वेट अधिनियम के तहत **'विक्रय मूल्य'** परिभाषित करने सम्बन्धी विधिक प्रावधानों का अवलोकन करना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(39) —

> **"sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof ;
>
> "**Explanation I** :- In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;
>
> "**Explanation II** :- Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price but the burden of such proof shall lie on the dealer."

वेट अधिनियम की धारा 2(36) —

> **"sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

लगातार.....5

Explanation I. – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. – **Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;**

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

9. उक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत प्रथम बिन्दु पर करारोपण के प्रावधान होने से इस अधिनियम की धारा 2(39) में परिभाषित **'विक्रय मूल्य'** का आशय व्यापार में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार छूट अथवा डिस्काउण्ट के रूप में अनुज्ञात की गई रकम कम करते हुए विक्रय प्रतिफलार्थ किसी व्यवहारी को संदत्त अथवा संदेय राशि है। इस धारा के नीचे दिये गये दोनों स्पष्टीकरणों में इन्वॉयस से प्रत्यक्ष विक्रय के समय का नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट ही व्यवहारी को विक्रय प्रतिफलार्थ संदत्त अथवा संदेय राशि से अलग किये जाने तथा कार्योत्तर प्रदान किया गया डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा ईनाम आदि अलग नहीं होने का प्रावधान किया हुआ नहीं है, परन्तु वेट अधिनियम के अन्तर्गत इन्पुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान किया जाकर व्यवहारी द्वारा माल विक्रय के समय जारी वेट इन्वॉयस में अंकित कर का ही क्रेता व्यवहारी को इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम अनुज्ञात किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण—II में यह प्रावधित किया गया है कि इन्वॉयस से प्रकट विक्रय करते समय दिये गये नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट ही विक्रय प्रतिफलार्थ संदत्त अथवा संदेय राशि से अलग किया जायेगा, परन्तु क्रयोत्तर प्रदान किये गये डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा ईनाम आदि अलग नहीं होंगे।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(1994) 2 एस.सी.सी. 14 सुलोचना अम्मा बनाम नारायणन नायर के पैरा 8** में किसी अधिनियम की धारा के स्पष्टीकरण की व्याख्या किये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है :—

लगातार.....6

"It is settled law that explanation to a section is not a substantive provision by itself. It is entitled to explain the meaning of the words contained in the section or clarify certain ambiguities or clear them up. It becomes a part and parcel of the enactment. Its meaning must depend upon its terms. Sometimes it would be added to include something within it or to exclude from the ambit of the main provision or some condition or words occurring in it. Therefore, the explanation normally should be so read as to harmonise with and to clear up any ambiguity in the same section."

11. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में भी वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण–II में इन्वॉयस से प्रकट विक्रय करते समय दिया गया नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट विक्रय प्रतिफलार्थ संदत्त या संदेय राशि से अलग किये जाने तथा कार्योत्तर दिये गये डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य से अलग नहीं किये जाने बाबत स्थिति स्पष्ट करने में मूल धारा के प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं होता है। इस प्रकार वेट अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित **'विक्रय मूल्य'** सपठित स्पष्टीकरण–II के विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के प्रोत्साहन हेतु व्यापार में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार घोषित स्कीम के तहत कंटिनजेंट डिस्काउण्ट के रूप में स्कीम अवधि की समाप्ति पर क्रेडिट नोट के जरिये बाद में दिये गये डिस्काउण्ट की रकम को व्यवहारी की ओर से उत्पाद विक्रय करते समय वितरक/डीलर को जारी वेट इन्वॉयस में प्रत्यक्षतः दर्शायी गयी विक्रय प्रतिफलार्थ संदेय राशि से अलग नहीं किया जा सकता।

12. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स व्हर्लपूल ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर (34 टैक्स अपडेट 256)** में माननीय खण्डपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(1994) 2 एस. सी.सी. 14; सिविल अपील संख्या 2516–2517/2012 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 27.2.2012; (1983) 2 एस.सी.सी. 108; (1980) 1 एस.सी.सी. 360** एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के के न्यायिक दृष्टान्त **(2003) 6 टैक्स अपडेट 317 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स रस्तोगी स्टील फर्नीचर** में प्रतिपादित सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचना करते हुए व्यवहारी द्वारा विक्रय पश्चात अपने क्रेता व्यवहारियों को दिया गया डिस्काउण्ट (कर सहित) वेट अधिनियम की धारा 2(36) स्पष्टीकरण–II के विधिक प्रावधानों के अनुसार विक्रय मूल्य में से कम किये जाने योग्य नहीं होने से इस पर आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि

लगातार.....7

की गयी है, जिससे यह पीठ पूर्णतः सहमत है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

13. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों से सम्बन्धित प्रकरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों से सुभिन्न होने तथा उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रासांगिक नहीं होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी को कोई सहायता नहीं पहुंचाते हैं।

14. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इन अपीलों में अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध विधिक बिन्दु, जो कि कर निर्धारण से छूटा हुआ होने के कारण, को खोलकर कर निर्धारण करने के बिन्दु को भी विवादित किया गया है। अतः प्रकरणों में यह बिन्दु भी निर्णीत किया जाना है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के नियमित कर निर्धारण आदेशों को वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत खोलते हुए पुनः करारोपण किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 26 निम्न प्रकार है :—

26. Escaped assessment.—

(1) An assessment –

(a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or

(b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under this Act has been escaped wholly or in part; or

(c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under–assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed to be an escaped assessment and the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub–section (3).

Explanation.– The assessment under this section shall not include that part of the business which has already been assessed or deemed to have been assessed under the provisions of this Act.

(2) Where the Commissioner or the Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub–section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub–section (3), either direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.

लगातार.....8

(3) No notice under sub–sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years, and no assessment under the said sub–sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in any order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.

(4) The assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

15. इसी सन्दर्भ में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया, जिनमें व्यवस्था दी गयी है कि –

(1) **ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 1303 महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह,** उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने बिहार कृषि आयकर अधिनियम की धारा 26, जो कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 12 के समान है, के सम्बन्ध में निर्णय दिया है कि –

"Held that the expression 'any reason' used in the Act, is of wide import and dispenses with those conditions by which section 34 of the Income Tax Act in circumscribed."

(2) **1976 आर.एल.डब्ल्यू. 648 (राज.) मैसर्स अकबरअली अमानतअली**

"Held that the words "for any reason" in section 12(1) or the Rajasthan Sales TAx Act, 1954 are wide enough and the powers of the Commercial Taxes Officer under the section are not circumscribed by any condition. The decision of the Division Bench in M/s National Clinic's case (1966 RLW 257) Which lays down that there can be no reassessment under section 12(1) of the Act on mere change of opinion, therefore, does not lay down good law."

(3) **(1980) 45 एस.टी.सी. 274 (राज.) राजस्थान फेल्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग कं0**

(4) **(1983) 54 एस.टी.सी. 284 (राज.) कोटा बॉक्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी**

"Held that the words "for any reason" in section 12(1) or the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 are wide and the powers of the Commercial Taxes Officer reopen an assessment under the section are not circumscribed by any condition.

(5) **(1986) 61 एस.टी.सी. 1 (मद्रास) डिनोद कैश्यू कॉर्पोरेशन**

(6) **(1977) 40 एस.टी.सी. 531 (मद्रास) येरकंड कॉफी क्योरिंग वर्क्स लिमिटेड**

लगातार.....9

"Held that having regard to the use of words "for any reason" it was clear that even where a turnover was disclosed but it was not subjected to tax, because at the relevant time the assessing authority through that the particulars turnover was exempt from tax, it would be permissible for the assessing authority to reopen the assessment under section 16(1)(a) or the Tamil Nadu General Sales Tax, 1959."

(7) (1989) 75 एस.टी.सी. 13 (कर्नाटक) केशोराम रायन

"Held that section 12A of the Karnataka Sales Tax Act, 1957 conferred power on the assessing authority to make a reassessment even in cases where the entire turnover was before the assessing authority, but it had committed mistake in the matter of rate of tax in which a lower rate of tax than the one at which the tax ought to have been levied, had been levied."

(8) (1993) 90 एस.टी.सी. 25 (केरल) टी.पी. एलियास

(9) (1996) 103 एस.टी.सी. 55 (केरल) सी वी की एण्ड कम्पनी

"Held that section 19 of the Kerala General Sales Tax Act, 1963 enables the assessing authority to reopen an assessment to bring to tax turnover which had escaped assessment, whatever be the reason for the turnover having escaped assessment. A mere change of opoinion on the same material will be sufficient to reopen the assessment."

(10) एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं0 3675/2001 मैसर्स जील वुलन्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड ब्रदर्स (राज.)

"Held that the expression "in any way or under any circumstances", used in section 30 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, are the expressions which have a very wider connotation. "In any way and under any circumstances" would give all permissible powers to the assessing authority. In that case the earlier assessment found to have faulted on the touch stone of the existing law, under-assessment is patiently there. Therefore, also the notice for reassessment cannot be said to be bad in the eye of law."

16. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी कारण/हेतु से नियमित कर निर्धारण में किसी वस्तु पर करारोपण होने से रह जाने की स्थिति में, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण को पुनः खोलते हुए छूटे हुए करारोपण की कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आलौच्य अवधियों के

लगातार.....10

नियमित कर निर्धारण आदेशों में क्रेडिट नोट्स की राशि पर करारोपण नहीं किये जाने के आधार पर प्रकरणों को वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत पुनः खोलते हुए, कर व ब्याज आरोपण की कार्यवाही किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति चलने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

17. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी के पृथक—पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 12.06.2012 एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.07.2013 की पुष्टि की जाती है।

18. निर्णय सुनाया गया।

11/08/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष